न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
जयन्तिलाल पुत्र चौपाजी जाति जैन निवासी धानसा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर		1.श्रीमती कमला देवी पुत्री चौपाजी 2.श्रीमती गुणवंती देवी पुत्री चौपाजी 3.श्रीमती मापी बाई पुत्री चौपाजी जातियान जैन निवासीगण धानसा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
प्रकरण संख्या अपील		03/2019

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-
1-श्री अशोक कुमार माली अभिभाषक अपीलान्ट
2-श्री ईशारखान अभिभापक रेस्पोडेन्टस
3-श्री छोटूसिंह अभिभापक राज पैरोकार

निर्णय

दिनांक:-26.11.2019

अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट हिन्दु है एवं हिन्दु विधि से शासित होते है।अपीलांट मांगीलाल पुत्र इन्दरमल का जायन्दा पुत्र है।रेस्पोडेन्ट के पिता चौपाजी ने अपने जीवनकाल में अपीलांट को गोद लिया था तथा गोद की रस्म हिन्दु रीति रिवाज से सम्पादित की थी।अपीलांट चौपाजी के गोद होने के बाद तमाम साम्पतिक अधिकार व हक चौपाजी के सम्पति में अर्जित कर लिये है तथा अपने नैसर्गिक पिता मांगीलाल की सम्पतियों में अपने हक व अधिकार समाप्त कर लिये है।अपीलांट चौपाजी का गोद पुत्र के रूप में जाना व पहचाना जाता है तथा तमाम पहचान संबंधि दस्तावेजात भी अपीलांट के पिता चौपाजी के नाम से है। यह तथ्य रेस्पोडेन्ट एवं ग्राम धानसा के जन सामान्य के ज्ञान में है।चौपाजी पुत्र धूडाजी कौम महाजन की खातेदारी आराजी मौजा धानसा चक नंबर 1 में वर्तमान खसरा नंबर 1671/3913 खसरा नंबर 1676, 1677/3914, 1678, 1786, 1792 कुल रकबा 7.53 हैक्टर की आई हुई है।चौपाजी की मृत्यु हो चुकी है।चौपाजी ने अपनी मृत्यु के समय रेस्पोडेन्ट व अपीलांट को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसानो के रूप में छोडा है।चौपाजी की मृत्यु के बाद चौपाजी की खातेदारी आराजी में बतौर चौपाजी के वारिसान केवल मात्र रेस्पोडेन्ट का नाम अभिलेख में दर्ज किया गया तथा रेस्पोडेन्टस का नाम विवादित म्यूटेशन में दर्ज किया गया जबकि अपीलांट भी चौपाजी का

विधि के मूल भूत सिद्धान्तो की भूल की है।विवादित म्यूटेशन राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान शिविरो में पारित किया गया है तथा उक्त म्यूटेशन पारित करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नही दी गयी।ऐसी स्थिति में विवादित आदेश जैर अपील के निरस्त किये जाने योग्य है।विवादित म्यूटेशन पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने चौपाजी पुत्र धुडाजी के समस्त जीवित वारिशानो के सही तौर पर जांच नही की है।केवल मात्र फौतगी का प्रमाण पत्र पंचायत से जारी होने का उल्लेख कर विवादित आदेश पारित किया है जो अपीलांट के साम्पतिक अधिकारो के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। चौपाजी पुत्र धुडाजी ने अपने जीवनकाल में अपीलांट को गोद लिया था तथा गोद की रस्त रूबरू रेस्पोडेन्टस की मौजूदगी व करीबी रिश्तेदारो व समाज के मौजीज व्यक्तियो की उपस्थिति मे गोद लिया था।गोद के वक्त अपीलांट की उम्र 16 वर्ष थी तथा चौपाजी ने अपनी पत्नि की सहमति से गोद लिया था तब से अपीलांट चौपाजी का गोद पुत्र जाना व पहचाना जाता है।अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व राजस्थान भू राजस्व नियम 131 की पालना नही की है।सिधे ही मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेख में विवादित प्रविष्टि को अमल दरामद कर विवादित आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।पक्षकारान हिन्दु है एवं हिन्दु विधि से शासित होते है।अपीलांट व रेस्पोडेन्ट चौपाजी के वारिसान है।चौपाजी ने अपनी मृत्यु के समय अपीलांट व रेस्पोडेन्टस को हिन्दु उत्तराधिकार प्रावधानो के तहत वारिसानो के रूप में छोडा है।अपीलांट चौपाजी का प्रथम श्रेणी का वारिस जीवित होने के बाबजूद विवादित आदेश प्रमाण पत्र के आधार पर अमलदरामद अभिलेख में किया है जो आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आदेश की जानकारी अपीलांट को तब हुई जबकि वर्ष 2019 जनवरी में अपीलांट शादी समारोह में भाग लेने हेतु धानसा आया तथा अपने खातेदारी पर जाकर देखा तो रेस्पोडेन्टस वहां पर खडे थे जिस पर अपीलांट ने बंटवाडे की बात कही तो रेस्पोडेन्ट व अपीलांट पटवारी के पास जमाबंदी लेने गये तो पटवारी ने कहा कि अपीलांट का नाम चौपाजी की मृत्यु के बाद अभिलेख में दर्ज नही हुआ है।जिस पर अपीलांट ने जमाबंदी की नकल व म्यूटेशन की नकल दिनांक 24.01.2019 को मांगी जो दिनांक 24.01.2019 को प्राप्त हुई।दिनांक 24.01.2019 के पूर्व विवादित आदेश की जानकारी अपीलांट को कभी नही हुई ।फिर भी अपीलांट द्वारा विवादित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है।अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर म्याद है।

लिहाजा अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश म्यूटेशन संख्या 1869दिनांक 07.06.2018 अदालत उप तहसीलदार रामसीन निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण उप तहसीलदार रामसीन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमावे कि अपीलांट बतौर चौपाजी का वारिस प्रथम श्रेणी का होने से चौपाजी वल्द धूडाजी की आराजी में अपीलांट को बतौर चौपाजी का वारिसान दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।यह प्रथम अपील है।आलोचित आदेश के विरूद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील आदी विचाराधीन नही है।

लिखित दस्तावेज नही है परन्तु अपीलांट की पहचान चौपाजी के पुत्र के नाम से है।रेस्पोडेन्ट चौपाजी की लडकियां है, चौपाजी की मृत्यु होने से राजस्व रेकर्ड में उनकी जायन्दा पुत्री कमला, गुणवती, माफी के नाम फौतदगी का म्यूटेशन दर्ज हो गया।जबकि रेस्पोडेन्ट के साथ गोद पुत्र अपीलांट जयन्तिलाल का नाम भी दर्ज होना चाहिये था।जो नही हुआ है।अत:अपील स्वीकार फरमाई जाकर चौपाजी पुत्र धुडाजी की आराजी में अपीलांट जयन्तिलाल को बतौर चौपाजी का गोद पुत्र दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया, कि अपीलांट जयन्तिलाल गोद पुत्र चौपाजी है तथा रेस्पोडेन्ट कमला,गुणवती, व माफी का भाई भी है।क्योकि चौपाजी ने अपने जीवनकाल में ही जयन्तिलाल को गोद ले लिया था।गोद लिये जाने बाबत दस्तावेज नही होने से हमारे पिता की खातेदारी आराजी में अपीलांट जयन्तिलाल के नाम म्यूटेशन दर्ज नही हुआ लेकिन हमारे साथ साथ भाई जयन्तिलाल का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है तो रेस्पोडेन्टस को कोई आपति नही है।अत:अपील स्वीकार करावे।

उपस्थित सरकारी वकील द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया है कि अपीलांट की ओर से रजिस्टर्ड गोद नामा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। जिसके अभाव में अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओ पर मनन भी किया।जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम धानसा चक नंबर 1 तहसील जसवंतपुरा के नामान्तरकरण संख्या 1869 स्वीकृत दिनांक 07.06.2018 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट चौपाजी का गोद पुत्र होने के बाबजूद भी चौपाजी के फौत होने पर भरे गये नामान्तरकरण में रेस्पोडेन्ट जायन्दा पुत्रीयो के नाम ही दर्ज किये गये जबकि पुत्रीयो के साथ अपीलांट का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिये था।इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील में चौपाजी का गोद पुत्र होना अवश्य कथन किया है परन्तु इसके समर्थन में रजिस्टर्ड गोदनामा अथवा ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है।जिसके अभाव में अपीलांट को चौपाजी का गोद पुत्र होना स्वीकार किये जाने योग्य नही है।रजिस्टर्ड गोदनामा के अभाव में किसी व्यक्ति को गोद पुत्र घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। अपीलांट स्वंय को गोद पुत्र चौपाजी का होना घोषित करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में वाद दायर करवाने हेतु स्वत्रंत है।

अत:उपरोक्त विवेचन के आधार पर रजिस्टर्ड गोदनाम के अभाव में अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर जालोर

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।